

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :— रापक/भण्डार/मुद्रण/2009/ 105

दिनांक :— 19.५.०९

निविदा सूचना
रजिस्टर एवं प्रपत्र मुद्रण कार्य (2009–10)

विभाग के उपयोग में आने वाले रजिस्टर्स एवं विभिन्न प्रपत्रों का श्वेत श्याम मुद्रण कार्य करवाया जाना है। जिसका अनुमानित मूल्य 80.00 लाख रुपये है। विभाग द्वारा प्रतिष्ठित एवं अनुभवी मुद्रणालयों से मुद्रण कार्य हेतु मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर के कमरा नं 239 में दिनांक 08.06.09 से दिनांक 18.06.09 तक स्टेट हैल्थ सोसायटी, राजस्थान जयपुर के पक्ष में रु 100/- का बैंकर्स चैक/डी0डी0 द्वारा निविदा शुल्क जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा फार्म के साथ 160000/- अमानत राशि के रूप में बैंकर्स चैक/डी0डी0 के माध्यम से जमा करवाया जाना आवश्यक है। निविदाएँ दिनांक 19.06.09 को अपराह्न 2.00 बजे तक विभाग में प्राप्त की जाकर दिनांक 19.06.09 को अपराह्न 4.00 बजे प्राप्त निविदाएँ उपस्थित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। शर्ते एवं कार्य के नमूने/मापदण्ड विभाग के कमरा नं 239 में कार्यालय समय में देखे जा सकते हैं।

उपरोक्त निविदा सूचना, निविदा फार्म एवं निविदा की शर्तें/विशिष्टिया विभागीय वेबसाईट www.rajswasthaya.nic.in पर भी देखी जा सकती हैं।

निदेशक (आर०सी०एच०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- रापक/भण्डार/2009/ 103-06

दिनांक :- 19.5.09

निदेशक,
जन सम्पर्क निदेशालय,
राजस्थान, जयपुर।


विषय :- रजिस्टर एवं प्रपत्र मुद्रण कार्य की निविदा सूचना प्रकाशित करने के क्रम में।

महोदय,

इस पत्र के साथ संलग्न निविदा सूचना छः प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। आप से अनुरोध है कि निम्न समाचार पत्रों/ट्रेड जनरल में निविदा सूचना शीघ्र प्रकाशित करने का श्रम करें।

1. राज्य स्तर के दो प्रमुख समाचार पत्र जिसमें एक का प्रसारण संख्या 50,000 प्रतियां प्रतिदिन या अधिक हो।
2. राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र।
3. इण्डियन ट्रेड जनरल पत्रिका, कोलकाता।

संलग्न: निविदा सूचना छः प्रतियों में एवं सी.डी. में।


निदेशक (आर०सी०एच०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- रापक/भण्डार/2009/ 103-06

दिनांक :- 19.5.09

प्रतिलिपि :-

1. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, स्वास्थ्य भवन, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट www.rajswasthaya.nic.in पर प्रकाशन हेतु।


निदेशक (आर०सी०एच०)

कार्य की अनुमति लागत रु 80.00 लाख
अमानत राशि रु 1.60 लाख
निवाद प्रपत्र शुल्क— 100 रु

अंतिम तिथि –

रजिस्टर एवं प्रपत्र मुद्रण कार्य हेतु निवाद प्रारूप (2009–10)

1. निवाद प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व _____ के लिए निवाद।
2. निवाद सम्पर्क कार्यालय का पता (यदि हो तो) _____
3. जयपुर सम्पर्क कार्यालय का पता (यदि हो तो) _____
4. किसको संबंधित किया गया— निदेशक, आर0सी0एच0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान,
- जयपुर।
5. निवाद सूचना संदर्भ _____
6. निवाद फर्म शुल्क की राशि स्टेट हैल्थ सोसायटी, राजस्थान, जयपुर के पक्ष में बैंकर चैंक / डी0डी0 द्वारा जमा करा दी गई है।
7. हम निदेशक, आर0सी0एच0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गयी निवाद सूचना संख्या दिनांक में वर्णित शर्तों से तथा सलंग शीट में दी गयी उक्त निवाद सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाल्य होना स्वीकार करते हैं (इनके सभी पृष्ठों पर उनसे उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं)।
8. निवाद फर्म के साथ सलंगन प्रपत्र 'अ' में मुद्रण कार्य 'अ' में संबंधी दरें सभी शुल्क सहित अंकित करें। अलग से कर की दरें अंकित करने पर निवाद निरस्त कर दी जावेगी।
9. मुद्रित सामग्री की आपूर्ति अंतिम प्रूफ जो अधिकतम 7 दिवस में अनुमोदन करवाया जाना है, के अनुमोदन की दिनांक से 20 दिवस की अवधि में करनी होगी, इसके पश्चात् परिसमापित नुकसानी राशि (Liquidated Damage) की नियमानुसार वसूली की जावेगी। विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति अवधि में कमी या वृद्धि की जा सकती है। फर्म द्वारा प्रूफ अनुमोदन हेतु भण्डार शाखा में लिखित में प्रस्तुत करना होगा एवं प्रूफ अनुमोदन भी लिखित में भण्डार शाखा से प्राप्त करना होगा। मुद्रण आदेश एवं मुद्रण सामग्री देने के पश्चात् 7 दिवस में प्रूफ हेतु सामग्री नहीं देने की स्थिति में कार्य विलम्ब अवधि में माना जावेगा।
10. मुद्रण कार्य हेतु प्रपत्र 'अ' एवं प्रपत्र 'अ-1' में दी गई दरें अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक के लिए हैं तथा कार्य विभिन्न आकारों एवं चरणों में विभाग की आवश्यकतानुसार करवाया जा सकता है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में उक्त कार्य निवाद सूचना में उल्लेखित कार्य के अलावा अनुमानित राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं करवाया जाएगा एवं निवाद सूचना में उल्लेखित कार्य के अलावा अनुमानित राशि के 50 प्रतिशत होने पर एक वर्ष से पूर्व ही उक्त निवाद स्वयंसेव निरस्त समझी जावेगी।
11. निवाद सूचना में अंकित अमानत राशि के रूप में स्टेट हैल्थ सोसायटी, राजस्थान, जयपुर के पक्ष में बैंकर चैंक / बैंक झापट निवाद फर्म के साथ सलंग हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :—
क्र.सं. _____
12. निवाद फर्म के साथ बिक्री कर पंजीकरण प्रमाण पत्र व गत साल का बिक्रीकर चुकता प्रमाण पत्र सलंग है।
13. विनिर्माता / डीलर आदि का घोषणा पत्र (प्रारूप-11) सलंग है।

निवादादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

मुद्रण कार्य के लिए निर्धारित अन्य शर्तें

1. निविदा सूचना में प्रकाशित सभी शर्तें इस निविदा का भाग मानी जावेगी।
2. केवल निविदा फर्म के साथ संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं प्रपत्र 'अ-1' में ही मुद्रक अपनी दरें दर्शाएं।
3. विभागीय प्रोफार्म के अतिरिक्त दी गई दरें मात्र नहीं होंगी।
4. दरों के लिफाफे के ऊपर "वित्तीय बिड" एवं निविदा फर्म व प्रमाण पत्र वाले लिफाफे पर "तकनीकी बिड" अकित होना चाहिए।
5. विभाग द्वारा सर्वथाम तकनीकी बिड का लिफाफा खोला जावेगा। तकनीकी बिड में निम्नांकित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

- i- निविदा फर्म (म्य हस्ताक्षर व मोहर)
- ii- अमानत राशि का बैंकर चेक / बैंक ड्रॉफट / ट्रेजरी चालान (लघु उधोग इकाई को धरोहर राशि में निम्नानुसार छूट देय होगी)।
- iii- दिनांक 31.03.08 तक का बिक्री कर / वेट चुकता प्रमाण पत्र।
- iv- मैन पॉवर व मशीनरी से संबंधित विवरण की सत्यापित प्रतियाँ।
- v- फर्म के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- vi- यदि फर्म लघु उधोग इकाई है तो सक्षम विभाग / अधिकारी द्वारा जारी लघु उधोग इकाई का स्थाई प्रमाण पत्र।
- vii- प्रपत्र 'अ' के अनुसार पेपर एवं गत्ता जो कि उक्त कार्य हेतु प्रयोग में लिया जायेगा पर हस्ताक्षरप्रस्तुत दो नमूने मय प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट।
- viii- निविदादाता द्वारा विभिन्न राजकीय विभागों एवं उपकर्मों में किये गये मुद्रण कार्य / समानान्तर कार्य के राशि रु 80.00 लाख न्यूनतम प्रति वर्ष के कार्यादेश, भुगतान स्थीकृति आदि के प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। फर्म को कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक है।
- ix- फर्म का गत तीन वर्षों की औसत वार्षिक बिक्री टर्नओवर न्यूनतम 2.50 करोड़ समानान्तर वर्ष का होना चाहिये। गत तीन वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा।
- x- फर्म के लैटर पैड पर विनिर्माता / डीलर आदि का घोषणा पत्र (संलग्न प्रारूप में) होंगी। विभाग द्वारा मुद्रण कार्य करने हेतु विषय वस्तु फर्म को उपलब्ध करवायी जावेगी जिसकी फर्म द्वारा डिजाइन तैयार कर उसका अनुमोदन निवेशक आरसीएच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर द्वारा मनोनीत अधिकारी से करवाया जाना होगा। फर्म द्वारा प्रूफ अनुमोदन हेतु भांडर शाखा में लिखित में प्रस्तुत करना होगा एवं प्रूफ अनुमोदन भी लिखित में भांडर शाखा से होगी। विभाग द्वारा मुद्रण आदेश एवं मुद्रण सामग्री देने के पश्चात् 7 दिवस में प्रूफ हेतु सामग्री प्राप्त करना होगा। मुद्रण कार्य विलब्ध अवधि में माना जायेगा तथा अतिम प्रूफ अनुमोदन के पश्चात् नहीं देनी की स्थिति कार्य विलब्ध अवधि में भांडर शाखा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त भी यदि अतिम मुद्रण में त्रुटिया रह जाती है तो ऐसी स्थिति में त्रुटियों का शुद्धि पत्र फर्म को स्वयं के खर्च पर मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध करवाना होगा एवं उक्त त्रुटि संशोधन कक्ष की राशि फर्म को देय राशि में से काटी जायेगी।
7. फर्म को कार्यादेश प्राप्त होने के अधिकतम 7 दिवस के अन्दर प्रूफ अनुमोदन करवाना होगा।

8. मुद्रण कार्य के लिए प्रस्तुत बिलों का भुगतान विभाग एक माह में करने का प्रयास करेगा। किन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक माह से अधिक समय लगता है तो उस दशा में फर्म का भुगतान योग्य राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या अन्य प्रकार की कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

9. कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
10. मुद्रक को मुद्रित सामग्री कार्यादेश में उल्लेखित विधि से बण्डलों में पेक कर विभाग के सेटी कॉलोनी स्टोर, जयपुर में पहुँचानी होगी। मुद्रक को इसके लिए कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।

11. निविदा के साथ धरोहर राशि स्टेट हैल्थ सोसायटी, राजस्थान, जयपुर के पक्ष में बैठकर चैंक / डी.डी. हवार स्वीकार्य होगी।
12. फर्म को आदेशित सामग्री का मुद्रण आदेशित कागज एवं जीएसएम में ही करना होगा। आदेशित जीएसएम में भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार मान्य कमी को ही विभाग द्वारा मान्य किया जा सकेगा। इससे अधिक जीएसएम में कमी पर नियमानुसार बिल में से राशि कटी जायेगी।
13. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप में पूर्ण होने, विभाग में स्थीकार करने एवं सामग्री का नियमानुसार प्रयोगशाला परीक्षण करवाने के बाद भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
14. बिना धरोहर राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।

15. निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
16. निविदा फर्म में किसी प्रकार की कॉट छेट व आवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई संशोधन किया जावे तो पुनः स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाकर इस पर अपने लघु हस्ताक्षर करने होंगे।
17. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, आर.सी.एच., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज., जयपुर को होगा।
18. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर नियमानुसार लिखितडेटड राशि बसूली की जावेगी।
19. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से मुद्रित सामग्री प्रदान करने में अनुसन्धान रहने पर अथवा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर निदेशक, आर.सी.एच., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज., जयपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्च पर अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य अन्य मुद्रक से करा सकेंगे। इसके साथ ही धरोहर / प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ली जावेगी।
20. मुद्रक को पूर्ण हेतु भेजे जाने वाले कागज के दोनों हाँशियों पर संशोधन करने हेतु पर्याप्त जगह की व्यवस्था करनी होगी।
21. प्रपत्रअ' में निर्धारित प्रपत्र / पंजिका की लीफ सं0 व पेपर की साईज प्रिंटिंग हेतु कम्पोजिम के अनुसार घटने / बढ़ने पर अनुमोदित दरों के आधार पर आनुपातिक तौर पर दरों की गणना कर भुगतान कर दिया जावेगा।
22. सफल निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर निदेशक, आर.सी.एच., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज., जयपुर को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिये गये आदेशों को रद्द करते हुए निविदादाता की प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ले।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।
24. निविदा की अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं आरसीओच० परियोजना के लिए मान्य शर्तें लागू होंगी।
25. समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक ——— को प्रातः: ——— बजे तक निदेशक, आर.सी.एच., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज., जयपुर के कार्यालय के कक्ष में 239, द्वितीय तल पर प्राप्त किये जावेगे। निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

निदेशक (आरसीओच०)

मैंने / हमने उपरोक्त सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं / हम उपरोक्त सभी शर्तों से प्रतिबंधित रहँगा / रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

एनआरएचएम/आरसीएच-गा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में प्रगति प्रतिवेदन सम्प्रेषण एवं रिकार्ड संधारण हेतु मुद्रित करवाए जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों/पंजिकाओं के मुद्रण हेतु तैयार किया गया तकमीना निम्नानुसार है।

क्र. सं.	विवरण	लीफ सं.	पेपर साईज	पेपर जीएसएम	मुद्रण का प्रकार	मात्रा	बाइण्डिंग का प्रकार	दर प्रति (रु. में)	कुल मूल्य (रु. में)
1	नसबन्दी ऑपरेशन हेतु सहमति एवं प्रार्थना पत्र	1	8.5"X 13"	80	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	5500 पेड	100 लीफ का एक पेड		
2	ऑपरेशन से पूर्व सर्जन द्वारा भरी जाने वाली चेकलिस्ट	1	8.5"X 13"	80	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	5500 पेड	100 लीफ का एक पेड		
3	पुरुष नसबन्दी केस कार्ड	1	8.5"X 13"	80	एक ओर एक रंग में मुद्रण	5,00 पेड	100 लीफ का एक पेड		
4	महिला नसबन्दी केस कार्ड	1	8.5"X 13"	80	एक ओर एक रंग में मुद्रण	5,000 पेड	100 लीफ का एक पेड		
5	नसबन्दी केसेज रजिस्ट्रेशन रजिस्टर		9.5"X 14.5"	80	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	2000 रजिस्टर	100 लीफ		
6	नसबन्दी ऑपरेशन प्रमाण पत्र		8.5"X 5.5"	80	एक ओर एक रंग में मुद्रण	5000 पेड	100 लीफ का एक पेड		
7	नसबन्दी प्रमाण पत्र	1	7"X 9"	200 जीएसएस कार्डशीट	एक ओर दो रंग में मुद्रण	5,00,000	लूज		
8	डिस्चार्ज टिकिट फॉलोअप कार्ड (महिला नसबन्दी)	1	7"X 10.5"	200 जीएसएस कार्डशीट	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	5,00,000	लूज		
9	डिस्चार्ज टिकिट व फॉलोअप कार्ड (पुरुष नसबन्दी)	1	7"X 10.5"	200 जीएसएम कार्ड शीट	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	50,000	लूज		
10	नसबन्दी की क्षतिपूर्ति राशि के लिए प्रार्थना पत्र	1	8.5"X 11"	80	एक ओर एक रंग में मुद्रण	5000 पेड	100 लीफ का एक पेड		
11	नसबन्दी प्रेरक प्रमाण पत्र	1	8.5"X 11"	80	एक ओर एक रंग में मुद्रण	5000 पेड	100 लीफ का एक पेड		
12	आईयूडी हिस्ट्री केस कार्ड	1	8.5"X 13"	80	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	5,000 पेड	100 लीफ का एक पेड		
13	स्टेटिक सेन्टर से जिला स्तर पर प्रेषित मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र	1	8.5"X 13"	80	एक ओर एक रंग में मुद्रण	10,500	लूज		
14	जिले से राज्य को प्रेषित किये जाने वाला स्टेटिक सेन्टर का मासिक प्रतिवेदन	1	8.5"X 13"	80	एक ओर एक रंग में मुद्रण	1000	लूज		
15	एमटीपी का मासिक प्रगति प्रतिवेदन	1	8.5"X 13"	80	एक ओर एक रंग में मुद्रण	60000	लूज		
16	परिवार कल्याण केम्प का मासिक प्रतिवेदन	1	8.5"X 13"	80	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	60000	लूज		
17	एफआरयू का मासिक प्रगति प्रतिवेदन	1	8.5"X 13"	80	एक ओर एक रंग में मुद्रण	5000	लूज		

क्र. सं.	विवरण	लीफ सं.	पेपर साईज	पेपर जीएसएम	मुद्रण का प्रकार	मात्रा	बाइप्रिंग का प्रकार	दर प्रति (रु. में)	कुल मूल्य (रु. में)
18	प्रा.स्वा.केन्द्रवार त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन	1	8.5''X 13''	80	एक ओर एक रंग में मुद्रण	3000	लूज		
19	नसबन्दी के पश्चात गर्भवती हुई महिलाओं की रिपोर्ट प्रपत्र	1	8.5''X 13''	80	एक ओर एक रंग में मुद्रण	60,000	लूज		
20	यूएफडब्ल्यूसी के लिए त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र	2	8.5''X 13''	60	एक ओर एक रंग में मुद्रण	1000	एक फोल्ड		
21	आरसीएच सेवाओं का भौतिक सत्यापन करने हेतु प्रपत्र	2	8.5''X 13''	60	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	15000	लूज		
22	योग्य दम्पत्ति सर्वे पंजिका	250	8.5''X 13''	60	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	5000 रजिस्टर	24 औंस की गत्ता बाइंडिंग		
23	योग्य दम्पत्ति सर्वे निर्देशिका	80	8.5''X 11''	80	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	20000 रजिस्टर	300 जीएसएम कार्डशीट पिनबाइंडिंग		
24	ग्रामवार प्रपत्र 'क'	2	8.5''X 11''	60	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	2.00 लाख	एक फोल्ड		
25	सारणीयन प्रपत्र	1	9.5''X 14''	60	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	2.00 लाख	लूज		
26	उपकेन्द्र वार्षिक कार्य योजना प्रपत्र-1	6	8.5''X 11''	60	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	70,000	स्टेपल पिन बाइंडिंग		
27	प्रा.स्वा.केन्द्र वार्षिक कार्य योजना प्रपत्र-2	9	8.5''X 11''	60	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	10,000	स्टेपल पिन बाइंडिंग		
28	एफआरयू/सीएचसी वार्षिक कार्य योजना प्रपत्र-3	4	8.5''X 11''	60	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	2,000	स्टेपल पिन बाइंडिंग		
29	जिला वार्षिक कार्य योजना प्रपत्र-4	4	8.5''X 11''	60	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	1000	स्टेपल पिन बाइंडिंग		
30	एनआरएचएम/आरसी एच-गा कार्यक्रम का मासिक प्रगति प्रतिवेदन, उपकेन्द्र फार्म -6	200	8.5''X 11''	प्रथम प्रति 48 GSM कलर व का.प्रति 60 GSM सफेद	एक ओर एक रंग में मुद्रण	15,000 रजिस्टर	24 औंस की गत्ता बाइंडिंग		
31	एनआरएचएम/आरसी एच-गा कार्यक्रम का मासिक प्रगति प्रतिवेदन, प्रा.स्वा.केन्द्र फार्म-7	240	8.5''X 11''	प्रथम प्रति 48 GSM कलर व का. प्रति 60 GSM सफेद	एक ओर एक रंग में मुद्रण	3000 रजिस्टर	24 औंस की गत्ता बाइंडिंग		
32	जिला/उप जिला अस्पताल एवं एफआरयू सीएचसी आदि से प्रेषित किये जाने वाला मासिक प्रगति प्रतिवेदन फार्म-8	256	8.5''X 11''	प्रथम प्रति 48 GSM कलर व का. प्रति 60 GSM सफेद	एक ओर एक रंग में मुद्रण	1000 रजिस्टर	24 औंस की गत्ता बाइंडिंग		

क्र. सं.	विवरण	लीफ सं.	पेपर साईज	पेपर जीएसएम	मुद्रण का प्रकार	मात्रा	बाइप्रिंटिंग का प्रकार	दर प्रति (रु. में)	कुल मूल्य (रु. में)
33	त्रैमासिक / वार्षिक बुलेटिन / विभागीय प्रतिवेदन प्रगति	50	8.5" x 11"	90 जीएसएम आर्ट पेपर पर	दोनों ओर मल्टी कलर में मुद्रण	प्रत्येक की 500 बुक्स	300 जीएसएम आर्ट कार्ड शीट (कवर मल्टी कलर प्रिटिंग दोनों ओर) लेमिनेटेड सेन्ट्रल पिन बाइप्रिंटिंग		
34	जनमंगल ग्राम सेवा पंजिका	64	8.5" x 11"	60	एक ओर एक रंग में मुद्रण	25,000 रजिस्टर	24 ऑस की गत्ता		
35	जनमंगल जोड़े द्वारा सम्प्रेषित किये जाने वाला मासिक प्रगति प्रतिवेदन फार्म-ज-1	64	8.5" x 11"	प्रथम प्रति 48 GSM कलर व का. प्रति 60 GSM सफेद	एक ओर एक रंग में मुद्रण	25,000 रजिस्टर	300 जीएसएम की कार्डशीट पिन बाइप्रिंटिंग		
36	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से प्रेषित किये जाने वाला मासिक प्रगति प्रतिवेदन फार्म-ज-2	36	8.5" x 11"	प्रथम प्रति 48 GSM कलर व का. प्रति 60 GSM सफेद	एक ओर एक रंग में मुद्रण	2200 रजिस्टर	300 जीएसएम की कार्डशीट पिन बाइप्रिंटिंग		
37	ब्लॉक / जिला स्तर से प्रेषित किये जाने वाला मासिक प्रगति प्रतिवेदन फार्म-ज-3	36	8.5" x 11"	प्रथम प्रति 48 GSM कलर व का. प्रति 60 GSM सफेद	एक ओर एक रंग में मुद्रण	120 रजिस्टर	300 जीएसएम की कार्डशीट पिन बाइप्रिंटिंग		
38	आईएमएनसीआई प्रशिक्षण मॉड्यूल (स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए)	42	9" x 5" 11.	130 जीएसएम आर्ट पेपर	दोनों ओर मल्टी कलर में मुद्रण	50,000	कवर जीएसएम आर्ट कार्ड शीट (कवर मल्टी कलर प्रिटिंग दोनों ओर) लेमिनेटेड सेन्ट्रल पिन बाइप्रिंटिंग	200	
39	आईएमएनसीआई देखभाल चार्ट बुकलेट	10	9" x 5" 11.	130 जीएसएम आर्ट पेपर	दोनों ओर मल्टी कलर में मुद्रण	50,000	कवर जीएसएम आर्ट कार्ड शीट (कवर मल्टी कलर प्रिटिंग दोनों ओर) लेमिनेटेड सेन्ट्रल पिन बाइप्रिंटिंग	200	
40	आईएमएनसीआई फोटोग्राम बुकलेट	8	9" x 5" 11.	130 जीएसएम आर्ट पेपर	दोनों ओर मल्टी कलर में मुद्रण	50,000	कवर जीएसएम आर्ट कार्ड शीट (कवर मल्टी कलर प्रिटिंग दोनों ओर) लेमिनेटेड सेन्ट्रल पिन बाइप्रिंटिंग	200	

क्र. सं.	विवरण	लीफ सं.	पेपर साइज	पेपर जीएसएम	मुद्रण का प्रकार	मात्रा	बाइप्रिंटिंग का प्रकार	दर प्रति (रु. में)	कुल मूल्य (रु. में)
फेसिलीटेटर गाइड बुक (क.सं. 42 से 52 तक की 11 पुस्तकों एक सेट)									
41	Photographs for Physicians	10	8.5 x 11 इंच	130 आर्ट पेपर	दोनों ओर मल्टीकलर में मुद्रण	400	कवर जीएसएम आर्ट कार्डशीट में सैन्ट्रल स्टेपल	200	
42	Introduction	10	8.5 x 11 इंच	80 मेफलिथो	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	400	कवर जीएसएम आर्ट कार्डशीट (मुद्रण दो कलर में)	200	
43	Assess and Classify the Sick young Infant Age up to 2 months	26	8.5 x 11 इंच	80 मेफलिथो	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	400	कवर जीएसएम आर्ट कार्डशीट (मुद्रण दो कलर में)	200	
44	Identify Treatment for the Sick Young Infant	12	8.5 x 11 इंच	80 मेफलिथो	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	400	कवर जीएसएम आर्ट कार्डशीट (मुद्रण दो कलर में)	200	
45	Treat the young Infant and Counsel the mother	34	8.5 x 11 इंच	80 मेफलिथो	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	400	कवर जीएसएम आर्ट कार्डशीट (मुद्रण दो कलर में)	200	
46	Assess and Classify the Sick Child Age 2 months up to 5 years	42	8.5 x 11 इंच	80 मेफलिथो	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	400	कवर जीएसएम आर्ट कार्डशीट (मुद्रण दो कलर में)	200	
47	Identify Treatment for the Sick Child	10	8.5 x 11 इंच	80 मेफलिथो	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	400	कवर जीएसएम आर्ट कार्डशीट (मुद्रण दो कलर में)	200	
48	Treat the Child	42	8.5 x 11 इंच	80 मेफलिथो	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	400	कवर जीएसएम आर्ट कार्डशीट (मुद्रण दो कलर में)	200	
49	Counsel the Mother	26	8.5 x 11 इंच	80 मेफलिथो	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	400	कवर जीएसएम आर्ट कार्डशीट (मुद्रण दो कलर में)	200	
50	Follow-up	16	8.5 x 11 इंच	80 मेफलिथो	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	400	कवर जीएसएम आर्ट कार्डशीट (मुद्रण दो कलर में)	200	
51	Physician Chart Booklet	22	8.5 x 11 इंच	80 मेफलिथो	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	400	कवर जीएसएम आर्ट कार्डशीट (मुद्रण दो कलर में)	200	
52	स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए अभिप्रेरक मार्गदर्शिका	90	8.5" x 11"	90 जीएसएम आर्ट पेपर पर	दोनों ओर एक कलर में मुद्रण	50,000	कवर जीएसएम आर्ट कार्डशीट मल्टी कलर प्रिंटिंग, सेन्टर पिन बाइंडिंग	200	
53	वाल-चार्ट फ्लैक्स शीट पर	1	30"x 60"	13 ऑस	एक ओर मल्टीकलर में मुद्रण	200 चार्ट	ऊपर नीचे प्लास्टिक पाइप में फोलिडिंग वाल बोर्ड टाइप		

क्र. सं.	विवरण	लीफ सं.	पेपर साईज	पेपर जीएसएम	मुद्रण का प्रकार	मात्रा	बाइंडिंग का प्रकार	दर प्रति (रु. में)	कुल मूल्य (रु. में)
54	आईएमएनसीआई के अन्तर्गत 2 माह तक के शिशु की देखभाल हेतु प्रपत्र	50	9.5"X 14"	80	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	50000 स्पाइरल बुक	प्रत्येक लीफ के तीन फोल्ड कर स्पाइरल बाइंडिंग		
55	आईएमएनसीआई के अन्तर्गत 2 माह से 5 वर्ष के बच्चों के देखभाल हेतु प्रपत्र	50	9.5"X 14"	80	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	50000 स्पाइरल बुक	प्रत्येक लीफ के 2 फोल्ड कर स्पाइरल बाइंडिंग		
56	आईएमएनसीआई रिपोर्टिंग ग्राम स्तर पर भरने हेतु प्रपत्र-1	210	8.5"X 11"	प्रथम प्रति 48 GSM कलर व का. प्रति 60 GSM सफेद	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	50000 रजिस्टर	24 औंस की गत्ता बाइंडिंग		
57	आईएमएनसीआई रेफरल कार्ड	180	4.5"X 6.5"	60	एक ओर एक रंग में मुद्रण	50000 बुक पेड	100 लीफ का एक पेड		
58	डिलीवरी रजिस्टर	150	9.5"X 14.5"	80	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	7400 रजिस्टर	24 औंस की गत्ता बाइंडिंग		
59	मातृ मृत्यु रजिस्ट्रर	100	9.5"X 14.5"	80	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	2000 रजिस्टर	24 औंस की गत्ता बाइंडिंग		
60	सिजेरियन प्रसव रजिस्टर (O.T.)	150	9.5"X 14"	80	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	1825 रजिस्टर	24 औंस की गत्ता बाइंडिंग		
61	इन्डोर रजिस्टर	150	9.5"X 14"	80	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	7400 रजिस्टर	24 औंस की गत्ता बाइंडिंग		
62	आउटडोर (ओपीडी) रजिस्टर	200	9.5"X 14"	80	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	14800 रजिस्टर	24 औंस की गत्ता बाइंडिंग		
63	लेब रजिस्टर	150	9.5"X 14"	80	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	5575 रजिस्टर	24 औंस की गत्ता बाइंडिंग		
64	प्रसव सेवा की मासिक रिपोर्ट	200	8.5"X 11."	80	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	800 रजिस्टर	24 औंस की गत्ता बाइंडिंग		
65	उप स्वास्थ्य केन्द्र सेवा पंजिका	178	9.5"X 14"	60	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	60,000 रजिस्टर	24 औंस की पक्की गत्ता बाइंडिंग		
66	नसबन्दी ऑपरेशन स्टेण्डर्ड मैनुअल	50	7"X 9"	80	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	500 बुक	300 जीएसएम कार्ड सीट में बाइंडिंग		
67	नसबन्दी ऑपरेशन क्वालिटी एश्योरेन्स मैनुअल	32	7"X 9"	80	दोनों ओर एक रंग में मुद्रण	500 बुक	300 जीएसएम कार्ड सीट में बाइंडिंग		

नोट : मुद्रण कार्य संबंधी दरें सभी शुल्क एवं कर सहित अंकित करना आवश्यक है। अलग से कर/शुल्क आदि की दरें अंकित करने पर निविदा निरस्त समझी जावेगी। लीफ संख्या पेपर साईज, मात्रा आदि में वास्तविक कार्य के आधार पर दरों में आनुपातिक रूप से परिवर्तन मान्य होगा।

Rates of Printing Work**A) Design/DTP Work**

S.No.	Work	Size 17"X 27"/4	23"X36"/8	20"X30"/8
(Rates in Sq. inch)				
1.	Photo Composing (Minimum Size 7"X7")			
2	Colour Scanning (Minimum Size 7"X7")			
3.	Planning in Single Color			
4.	DTP			
5.	Plate Making (Black/White)			
6.	Plate Making (Colour)			
7.	Design Charges			

B) Printing Work

1.	Black & White Printing Rate of First Thousand			
	Rate of Next Thousand			
2.	Printing Rate of Multi Colour			
	Rate of First per Thousand Colour			
	Rate of Next per Thousand colour			

C) Rates of Paper : Paper Rim (Per Paper Rim Quantity is 500 Nos.)

S.No.	Work	Size 17"X 27"	23"X36"	20"X30"
1.	Mephilitho Paper 60 GSM			
	Mephilitho Paper 80 GSM			
2.	Creamvo Paper 60 GSM			
	Creamvo Paper 80 GSM			
3.	Sunshine Paper 60 GSM			
	Sunshine Paper 80 GSM			
4.	Art Paper 60 GSM			
	Art Paper 80 GSM			
	Art Paper 100 GSM			
5.	Art Card 130 GSM			
	Art Card 200 GSM			
6.	Colour Paper 48 GSM			
	Colour Paper 60 GSM			
7.	Craft Paper (Brown) 48 GSM			
	Craft Paper (Brown) 60 GSM			

D) Rates of Binding & Other Job

S.No.	Work	Size 17"X 27"/4	18"X23"/4	20"X30"/8
1.	Register Binding (Pakki) in 24 Ons Gatta per Register			
2.	Register Binding (Kacchi) per Register			
3.	Register Pin Binding Per Register			
4.	Glue Pad Binding per pad			
5.	Lamination in Sq. Inch per 100 Sq. inch			
6.	Perforation per 1000			
7.	Numbering per 1000			
8.	Paper Folding per 1000			
9.	Spiral Binding (with Sample)			

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0 जयपुर।

(मुद्रक तकनीकी निविदा फार्म के साथ प्रिंटिंग प्रेस संबंधी निम्नलिखित सूचना भी सलंगन करें)

1. प्रिंटिंग प्रेस का नाम

2. प्रिंटिंग प्रेस का पूरा पता

3. प्रोपराइटर / साझेदार का नाम व
घर का पता

अ.

ब.

स.

4. फोन नं0 (कार्यालय) निवास
मोबाईल नं0 फैक्स नं05. यदि प्रेस का रजिस्ट्रेशन प्रेस व फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत किया हुआ है तो उसकी प्रमाणित प्रति
सलंगन करें।6. यदि प्रेस निदेशक, उधोग, राजस्थान, जयपुर से लघु इकाई के रूप में पंजीकृत है तो उसकी प्रमाणित
प्रति सलंगन करें।7. कार्यानुभव का विवरण (राजकीय विभागों/उपक्रमों में गत तीन वर्षों के समानान्तर कार्य का अनुभव
प्रमाण पत्र)8. विभिन्न राजकीय विभागों/उपक्रमों से प्राप्त कार्यादेशों एवं भुगतान स्वीकृति की प्रमाणित प्रतियां
(न्यूनतम 80 लाख रु0 प्रतिवर्ष) गत तीन वर्षों के।

8. गत तीन वर्षों का बिक्री टर्नओवर (न्यूनतम 2.50 करोड़ रु0 का वार्षिक औसत टर्नओवर होना चाहिए)

9. मशीनरी से संबंधित विवरण :-

अ) कार्यरत आफसैट प्रेस

क्र. सं.	आफसैट मशीनों का विवरण मय मेंक / मार्क	साईज	कैशमीमो/इच्चाईस क्रमांक/दिनाक/राशि	मशीन कब से स्थापित है।	कलर/श्वेत श्याम मुद्रण मशीन	स्वचालित या हस्त चलित	इम्प्रेशन प्रति घंटा

उक्तानुसार मशीनरी के स्वामित्व के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति मय खरीद बिल के प्रस्तुत करनी
होगी।

ब)	प्रोसेसिंग एवं कम्पोजिंग का विवरण		
1.	फोटो कैमरा/स्कैनर		
2.	प्लेट मेकिंग/ब्लाक मेकिंग		
3.	फोटो टाईप सेंटर/डी0टी0पी0 उपकरण		
स)	बाइपिंग मशीनरी उपकरण		
1.	कटिंग मशीन की संख्या		
2.	फोल्डिंग मशीन की संख्या		
3.	स्टेचिंग मशीन की संख्या		
4.	रजिस्टर बाईपिंग की क्षमता प्रतिदिन		
द)	प्रेस में कार्यरत श्रमिकों की संख्या (मैन पॉवर)		
	क्र0सं0	विवरण	नाम
			पद
			योग्यता
1.	कार्यालय		
2.	प्रोसेसिंग शाखा		
3.	मुद्रण शाखा		
4.	बाइपिंग शाखा		
	(उक्तानुसार पूर्ण विवरण पृथक से सलंगन करें)		
10.	प्रेस संस्थान में कार्यरत श्रमिकों की नियमानुसार पीएफ अंशदान की कटोती दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां सलंगन करें।		
11.	साप्ताहिक अवकाश का दिन		
12.	गत तीन वर्षों की आडिटेड बैलेन्स शीट मय ऑडिट रिपोर्ट		
13.	राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी Solvency Certificate		
14.	निविदादाता फर्म को किसी राजकीय विभाग/उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (रु. 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र)		
15.	प्रेस संस्थान में मशीनरी एवं संयंत्र के स्थापित होने का म्यूनिसीपल कॉर्पोरेशन से जारी अनुज्ञा पत्र की प्रमाणित प्रति।		

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा
(देखिए नियम 48(vii))

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी हैं, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी /हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समर्पित कर किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी :- निविदाता को इन शर्तों को सावधानपूर्क पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदा भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. बद्द करना चाहिए।
2. वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाएँ :- निविदाएं मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः वे एस.आर.11 प्रारूप में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना केता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं वे केता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकारानामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्थीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मोचन (डिस्चार्ज) होगी।
4. बिकी कर पंजीयन एवं चूकती प्रमाण पत्र :- कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहां उसका व्यवसाय स्थित है, बिकी कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिकी कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा संबंधित सार्किल के वाणिजिक कर अधिकारी से बिकी कर चूकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
5. निविदा प्रारूप स्थाही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जाएगा। पैसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
6. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें काई त्रुटियां या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
7. दरें गनव्य स्थान तक एफ.ओ.आर उद्दत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी अनुशंसिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए।
8. (1) दरों की तुलना : राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा राजस्थान के भीतर की उन कर्मों द्वारा, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिनान के लिए अधिकृत नहीं हैं, निविदत्त दरों के तुलना करने में, राजस्थान बिकी कर की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि केन्द्रीय बिकी कर को इसमें शामिल किया जाएगा।

(2) राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध में दरों की तुलना करते समय, राजस्थान बिकी कर की राशि को शामिल किया जाएगा।
9. मूल्य अधिनान : मूल्य अधिनानता / अधिनानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या वित्तियित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या वित्तियित मालों की तुलना में भंडार कर्य (राजस्थान के उद्योगों को अधिनानता) नियम 1995 के अनुसार की जाएगी।
10. विधि मान्यता : निविदाएं, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी। अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेशलिफिकेशन, साइज, भेंक एवं झांग आदि के आशय के बारे में सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे केता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
11. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप-भाउ (सब लेट) पर नहीं देगा।
12. विनिर्देश विशेष विवरण (स्पेशलिफिकेशन्स)
 - (i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेशिफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेशिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मध्यों को पूर्ण रूप से उन स्पेशिफिकेशन्स के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।
 - (ii)
- 13.

(ii) तारा चिन्ह से अंकित/कम संख्या..... पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य पदार्थों के मामले में जहां कोई मानक या अनुमोदित नमूना न हो, अल्ट्यूटम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। इस संबंध में कि प्रदायित की गई वस्तुएं स्पेशिफिकेशन्स के अनुरूप हैं तथा क्या वे सेम्पल, यदि कोई हो, के अनुसार है क्या अधिकारी / क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

- (iii) वारंटी एवं गारंटी का खंड : निविदादाता यह गारंटी देगा कि क्रय किये जाने वाले माल /स्टोर्स/वस्तुएं की सुपुर्दी की दिनांक से दिनों/माहों की अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि केता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण /अथवा अनुमोदित कर दिया हो, यदि..... दिनों/माहों की उक्त अवधि में उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस संबंध में केता अधिकारी का निर्णय अंतिम व परिणामी होगा), तो क्रेता उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं को या उसके ऐसे किसी भाग को जिसे उक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप ना पाया जावे, अस्वीकृत करने का हकदार होगा। और माल की अस्वीकृति आदि से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे केता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। उसमें दी गयी कोई भी बात से इस-स्पष्टिका के अधीन या अन्यथा उस संबंध में केता अधिकारी के किसी अन्य अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
- (iv) मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड (iii) में उल्लेखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जों को बदलेगा या किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा। यदि उक्त अवधि में उन्हें वैसा पाया जाएगा ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएं कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।
- (v) केता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसी शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जाएगी, वार्षिक रख-रखाव एवं मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विनिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों की नियमित समुचित सलाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा वाहें वे मशीने या उपकरण वार्षिक रख-रखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन हो या अन्यथा हो। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह केता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा। केता अधिकारी अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीदा परस्पर कर सकेगा।

14. निरीक्षण :

- क) केता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर या सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क किया जाना है। उन डीलरों के मामले में जो व्यवसाय में नए रूप में वाद जैसा भी निश्चय किया जाएगा, किसी भी समय मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकाल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी।

- ख) निविदादाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम एवं वर्कशाप का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क किया जाएगे। सेम्पल प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक सेम्पल के लिए एक रसीद दी जाएगी। यदि ये सेम्पल द्वेन आदि से भेजे जाते हैं, तो उन्हें भुगतान कर भाउ द्वारा भिजवाने चाहिए तथा धारा आर /जी.आर. एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी मूल्य से रखे जाने चाहिए।
15. सैम्पल : अनुसूची में अंकित वस्तुओं के लिए निविदाओं उचित रूप से पैक की गयी निविदत वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे सैम्पल, यदि व्यावित रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे तो कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। सैम्पल प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक सेम्पल के लिए एक रसीद दी जाएगी। यदि ये सेम्पल द्वेन आदि से भेजे जाते हैं, तो उन्हें भुगतान कर भाउ द्वारा भिजवाने चाहिए तथा धारा आर /जी.आर. एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी मूल्य से रखे जाने चाहिए।

प्रत्येक सेम्पल या किसी स्लिप पर या तो लिखकर या नमूने के साथ एक मजबूत कागज सुरक्षित ढंग से बांधकर उसे उपयुक्त रूप से चिह्नित किया जाएगा तथा उस पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाएंगे।

17. अनुमोदित सेम्पलों को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जायेगा। इस अवधि में इन सेम्पल को प्रतिधारित किया जाएगा परंतु उसमें किसी भी क्षति, दृट-फूट परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायित्व नहीं होगी। निधिरित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा सेम्पलों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई सेम्पल प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समाप्त हूत कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई कलेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।
18. अस्कल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये नमूने वापस ले लिये जायेंगे। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उसमें किसी भी प्रकार की क्षति, दृट फूट या परीक्षण, जांच आदि के दौरान आदि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जाएंगे। उन्हें समाप्त हूत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
19. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनकी परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे सेपेशिकिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हो या विहत किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्रीमान टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्त्वमान परीक्षण गृहों में कराया जायेगा और प्रदाय तभी स्वीकार किये जायेंगे जब वस्तुएं ऐसे परीक्षण के फलस्वरूप विविद विनिर्देशों के मानके के अनुरूप हों।
20. नमूने निकालना : परीक्षणों के मामले में निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में 4 सेटों में नमूने लिए जायेंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से नोहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक सेट उन्हें दें दिया जावेगा एवं दूसरे सेट को प्रयोगशाला या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा शेष दो सेट को संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में रख लिया जायेगा।
21. परीक्षण व्यय : परीक्षण व्यय सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण करना याहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो सम्भाई किया गया सामान विहित रस्तों या स्पसिफिकेशन्स के अनुसार नहीं हैं, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

रद्दव करना :

- 1) निरीक्षण व परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा। तथा निविदादाता द्वारा उन्हें केता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जायेगा।
- 2) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तत्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या अधिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य नहीं समझा जाएं, तो केता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।
- 3) अस्वीकृत की गई वस्तुओं को निविदादाता सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद केता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादात की जोखिम एवं उसके मद्दे उन वस्तुओं को जिन्हें वे उचित समझें, बेचने का अधिकार होगा।
- 4) निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, क्षति, हृट फूट या रिसाव या किसी होने के मामले में, निविदादात उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 5) प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सम्बाई केता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद केता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
- 6) निविदादाता को उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनहंता होगी।

27. 1) सुपुर्दिगी अवधि : निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी वह अंतिम पूर्फ अनुमोदन की दिनांक आदेश में वर्णित निर्धारित अवधि के भीतर सामग्री की सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा।

- 2) मात्रा की सीमा – पुनरादेश :- यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गई शर्तों पर दिये जा सकेंगे, परंतु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप से खरीदी गई मात्रा की 50 प्रतिशत की सप्लाई के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अंतिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने की में असमर्थ रहता है तो केता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था समिति निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार करने के लिए खातंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जायेगी उसकी निविदादाता से वसूली की जायेगी।
- 3) यदि केता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निविद मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का कलेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

28. बयाना राशि :-

- क) निविदा राशि के साथ निविदा सूचना में निर्धारित रू 0 की बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि निवेशक, परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज., जयपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी भी रूप में जमा कराया जाना चाहिये।
- 1) नकद शीर्ष "8443-सिविल निक्षेप-103-प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिये।

2) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्रापट / बैंकर्स चैक

- ख) बयाना राशि का प्रतिदाय-असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा का अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथावत्य शीघ्र लौटाई जायेगी।

- ग) बयाना राशि से छूट :- उन फर्मों को जो निवेशक, उधोग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं उन मर्दों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके हारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुमानित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गये निविदा के अनुमानित मूल्य के आधा (0.5) प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करनी होगी।

- घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपकरणों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

- इ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई सविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग / कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नई निष्पादित नहीं करता है। बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं का पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

29. बयाना राशि का समर्हण – बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समर्पहत कर लिया जायेगा।

- i. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है तो उसमें रूपान्तरण करता है।
- ii. निविदादाता विनिर्दिष्ट विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।
- iii. जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता हो।
- iv. जब वजह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मर्दों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।
30. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :- सफल निविदादात को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए निविदां स्वीकार की गई हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से आपको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 15 दिन के भीतर जमा कराई जायेगी।

(ii) निविदा के समय जमा कराई गई बयाना राशि को प्रतिभूति राशि के लिए समायेजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि के रूप में निम्न प्रकार होंगे।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप में निम्न प्रकार होंगे।

क) नकद / बैंक ड्रॉपट / बैंकर्स चैक / चालान की रसीदी प्रति।

ख) लाक घर बचत बैंक पास बुक जिस विधिवत गिरफ्ती रखा जायेगा।

ग) अन्य बचतों को ग्रेट्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेन्स सेविंग सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्कील्ड/विलेख यदि उन्हें गिरफ्ती रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों उनके समर्पण मूल्य पर स्थिकार किया जायेगा।

एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों में अंतिम सल्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुरुदृगी को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण किये जाने के बाद गारंटी की अवधि, यदि हो, के समाप्त हो जाने के बाद, जो भी बाद में हो ताकि उससे संतुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विलेख कोई देय बकाया नहीं है, के दो माह पश्चात प्रतिभूति राशि को प्रतिवाय किया जायेगा। निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्टर्डकृत फर्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निवेदाक, उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किये जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आशिक छूट दी जायेगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के एक प्रति प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगे।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(3) प्रतिभूति निक्षेप का सम्बरण – प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समहृत किया जायेगा।

क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सल्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

ग) प्रतिभूति निक्षेप का समाप्त करने के लिए मामले में युविकायुत समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्वाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन (Counter Foil) निःशुल्क दी जाएगी।

31. (i) समस्त माल रेलवे या गुडस ट्रांसपोर्ट की जरिये भाड़ा चुकाकर भेजा जायेगा। यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता के बिल में से उस भाडे से 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जायेगी। आर.आर. केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(ii) यदि केता अधिकारी माल को ऐसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल का भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
(iii) संदाय पर किये गये प्रेषण भर निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

(iv)

32.

बीमा –
(i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुरुद किये जायेंगे। यदि सल्लायर चाहे तो वह सूल्पवान सामान को बोरी नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण अन्यथा (जैसे- युद्ध, विद्रोह, दंगा आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य में इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(ii) यदि केता द्वारा चाहा गया हो तो केता के व्यय पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जायेगा। ऐसे में बीमा सदैव भारतीय बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

- (i) उर्दम् एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अधिक भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि अधिक भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेत/प्रतिलिपि गुड्स इंस्पोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा चिठ्ठीय शालियों में विहित की गई सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण यदि कोई हो किये जाने पर दिया जायेगा। अवशेष राशि का भुगतान माल अच्छी हालात में प्राप्त होने पर तथा निविदादाता को नहीं दिये गये उस संबंध का प्रमाण पत्र निरीक्षण के समय पृष्ठांकित किये जाने पर दिया जायेगा।
- (ii) जब तक पक्कारों के मध्य अन्यथा सम्मति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा केता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
- (iii) विवादास्पद मदों के संबंध में राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर इसका भुगतान कर दिया जायेगा।
- (iv) उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन्स के अनुरूप होंगे।
- (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को सविदा के सार रूप में सम्झा जायेगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने की अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) निर्धारित त्रुक्सान – निर्धारित त्रुक्सान के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के नामांत्रे में, वस्तुली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जायेगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है।

- (1) क. विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक ख. एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक तक का विलम्ब ग. आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई तक की कालावधि का विलम्ब घ. विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय अधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।
- (2) परिसमापित त्रुक्सानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
- (3) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण सविदा अन्तर्गत माल सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने के तुरंत उसी समय करेगा, न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- (5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता की नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित त्रुक्सानी सहित या रहित की जा सकेगी।
- (35). वस्तुलीया – परिनिर्धारित क्षय, कम सप्लाई, दूट-फूट, रद्द की गई वस्तु के लिए वस्तु की साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। कम सप्लाई, दूट-फूट, रद्द किये गये मालों की सीमा तक की राशि को भी रोका जा सकेगा, यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित क्षय के साथ वस्तुली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निष्केप से की जायेगी। यदि वस्तुली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एवं या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
36. निविदादाता को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।
37. यदि निविदादाता ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी

भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त का स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा जबकि केता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

38. केता अधिकारी किसी भी निविदा को औंवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कारण बतलाए किसी भी निविदा को रद्द या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

39. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—

- (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभिप्राणित प्रति
- (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष
- (iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता टेलीफोन नंबर
- (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा किया गया प्रमाण पत्र

40. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंध में नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

41. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर क्षेत्र में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र नहीं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर